Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

No.6(337)SP/2014/ **Dated 03-10-2019**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for संस्थान में किसान घर (किसान हॉस्टल) की सुरक्षा, रख–रखाव व हाउस कीपिंग से सम्बन्धि कार्य at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	6(337)SP/2014/
Date and Time for issue/Publishing	03-10-2019 at 3-00 PM
Document Download/Sale start date and time	04-10-2019 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	04-10-2019 at 3-00 PM
Bid Submission End Date and Time	23-10-2019 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	24-10-2019 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee –Rs.500/- Earnest money – Rs.5000/- Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

Chapter I- Instruction to bidders

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required Earnest Money Deposit (EMD) in original of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of relevant experience/satishfectory service certificate atleast 5 years in govt/autonomus body.
4. Scanned copy of GST registration. If not applicable an under taking in this regard should be given on 50/100 rupees stamp paper duly attested by Notary Public.
5. Scanned copy of ESI and EPF Registration
6. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
7. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
8. Scanned copy of Tender acceptance letter (Annexure I)
9. Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 9 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal; documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

Chapter II- Scope of Work

<u>संस्थान के तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अधीन किसान घर (किसान हॉस्टल) की सुरक्षा, रख–रखाव व हाउस कीपिंग से सम्बन्धि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व र्तें</u>

1. **अनुबन्ध की अवधि कार्यादे ा जारी होने की तिथी से एक व ा तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक व ा बढ़ाई जा सकती है।** यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतो ाजनक रहा तो अनुबन्ध नि िचत समय अवधि से पूर्व जमानत रा ि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। **निविदा/कोटे ान जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समक्षा जावेगा।** साथ ही पेटी ठेका मान्य नहीं होगा।
3. अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसान हॉस्टल में सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दरों पर अल्पाहार, भोजन व अन्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
4. **निविदादाता के पास सरकारी अतिथिगृह/छात्रावास में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए तथा निविदा के साथ संतोषजनक कार्य पूर्ण करने की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
5. **किसान हॉस्टल में 13 कमरें, 2 हॉल, 1 डायनिंग हॉल एवं बरामदा है तथा लॉन एरिया एवं पेड़–पौधे है जिनके रख–रखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही उक्त कार्य हेतु लगभग 1 मानव श्रम की आव यकता रहेगी।**

किसान हॉस्टल के मैस को संचालित करने की नियम व शर्ते –

6. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, किसान हॉस्टल/प्रतिनिधि के दि ाा–निर्दे ाानुसार कार्य करना होगा तथा कार्य समय पर नहीं करने व निर्दे ाों की पालना नहीं करने अथवा आव यकता अनुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं कराने पर उनके देय बिल से प्रारीश्रमिक नियमों के अनुसार प्रतिदिवस के हिसाब से दण्ड स्वरूप आव यक कटौती की जावेगी।
7. अनुबन्धकर्ता के पास स्वयं/फर्म के नाम से राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री रखने, तैयार करने व विक्रय करने का खाद्य–अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) होना चाहिये। यदि निविदा/कोटे ान भरते समय निविदादाता के पास खाद्य–अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) नहीं हो तो कोटे ान स्वीकृत होने के एक माह के भीतर–भीतर उसे राज्य सरकार के अधिकृत नियमानुसार खाद्य–अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) अपने स्तर पर प्राप्त करके कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने में निपुण होना चाहिए।
9. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल के रसोईघर व भोजनकक्ष के साथ भण्डार गृह में खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ (न ो वाले पेय को छोडकर) रखने, पकाने, तैयार करने, आपूर्ति करने के लिये आज्ञा दी जावेगी। उक्त सामानों को रखने, पकाने, तैयार करने, परोसने, आदि का कार्य की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जावेगी।
10. किसान हॉस्टल चलाने का अनुज्ञा–पत्र कार्यादे ा जारी तिथि से एक वर्ष के लिये होगा, जिसे किसान हॉस्टल चलाने हेतु अनुबन्धकर्ता के तरीके, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि के सन्तोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से एक वर्ष के लिये बढाया जा सकता हैं।
11. यदि अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता की कार्यशैली, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि संतोषजनक नही पाई जाती है तो अनुबन्ध को समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता हैं या दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त/रद्द किया जा सकता हैं।
12. किसान हॉस्टल में आपूर्ति किये जाने वाला सामान उच्च गुणवत्ता या प्रभारी, किसान हॉस्टल द्वारा सुझाई गई/निर्धारित की गई गुणवत्ता वाला होगा। प्रभारी, किसान हॉस्टल, सक्षम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि किसी भी समय हॉस्टल में आकर खाद्य/पेय सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं एवं उनके द्वारा हॉस्टल में प्रयोग/आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये लिया गया निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा। साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. अनुबन्धकर्ता को डायनिंगहाल व रसोई के लिये पर्याप्त मात्रा में रसोइये कर्मचारी लगाने होगें। अनुबन्धकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि ड्यूटी पर उपस्थित रसोइये/सेवक आदि किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नही हो, निर्धारित यूनीफार्म (एप्रेन) में हो तथा कर्मचारियों/अधिकारियों/मेहमानों आदि से बातचीत/व्यवहार मे विनम्रता, ईमानदारी, संयमी एवं िष्ट हो। अनुबन्धकर्ता अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की अवज्ञा/अवहेलना करने की स्थिति में अनुज्ञा–पत्र को निरस्त किया जा सकता हैं।
14. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल में आने वाले प्रि ाक्षणार्थियों/मेहमानों को आव यकतानुसार निर्धारित समय पर चाय, नास्ता, दोपहर व रात्रि के भोजन की व्यवस्था करनी होगी तथा उनके द्वारा बिल मांगने पर प्रिन्टेड बिल प्रस्तुत करना होगा।
15. अनुबन्धकर्ता को हॉस्टल काउन्टर पर िकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसमें संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी/मेहमान आदि िकायत/सुझाव लिख सकेगें तथा इस पुस्तिका का प्रभारी, किसान हॉस्टल द्वारा समय–2 पर अवलोकन किया जावेगा।
16. अनुबन्धकर्ता द्वारा हॉस्टल के अन्दर (रसोई, भण्डार गृह व भोजनकक्ष में) हर समय सफाई का पूरा ध्यान रखेगा एवं राजस्थान सरकार (स्वास्थ्य विभाग) के मानको को पूरा करेगा। प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 9–00 बजे एवं दोपहर बाद 2–30 बजे स्वयं उपस्थित रहकर झाडू/पौचा लगवाकर सफाई करवानी होगी तथा उस समय किसान हॉस्टल को बन्द रखे बिना अनुबन्धकर्ता को सफाई करवानी होगी। सफाई की व्यवस्था ठीक नही रखनें एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नही देने पर अनुबन्ध को दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में सस्थान के निदे ाक महोदय का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

17. किसान हॉस्टल के अन्दर खाद्य/पेय सामग्री बनाने/तैयार करने के लिये हीटर व लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल करने की पूर्ण पाबन्दी रहेगी। अनुबन्धकर्ता को एल.पी.जी. गैस कनेक ान संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा तथा सिलेण्डर को भरवाने व इसका भुगतान (को–ओपरेटिव स्टोर, अविकानगर के मापदण्डों के अनुसार जो भी रा ि हो) करने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यह कनेक ान केवल हॉस्टल कार्य के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही आव यक सुरक्षा मापदंडों का पालन करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सिलेण्डरों को नियमानुसार संस्थान के को–ओपरेटिव स्टोर से भराने की सुविधा प्रदान जावेगी परन्तु सिलेण्डरों को भरवाने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। गैस चूल्हा/भट्टी की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
18. किसान हॉस्टल के अन्दर बिजली के बल्व/ट्यूबलाईटे आदि के खराब होने पर इन्हे बदलवाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। बिजली की फिटिंग, बल्व, ट्यूबलाईटे, पंखे आदि संस्थान की सम्पति होगी।
19. किसान हॉस्टल के अन्दर खाद्य सामग्री बनाने हेतु प्रयोग आने वाले बड़े बर्तनों की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। खाद्य/पेय सामग्री रखने/बनाने आदि के लिये साफ बर्तनों का प्रयोग करना होगा। अनुबन्धकर्ता को खाद्य/पेय सामग्री परोसने के बर्तनों को एक बार प्रयोग में आने के बाद वीम पाउडर से साफ करके गर्म पानी से धुलाने की व्यवस्था रोजाना अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। अनुबन्धकर्ता को खाना परोसने के काम आने वाले बर्तन जैसे स्टील प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, डोंगे, जग आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा इनकी साफ–सफाई व देखभाल की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान चोरी होता है या टूटता है तो उसका हर्जाना वसूला जावेगा अथवा उनके देय बिल से इस रा ि की कटौती की जावेगी।
20. खाद्य/पेय सामग्री की दरों में सं ोधन के प्रस्ताव पर एक वर्ष से पूर्व कोई भी विचार नही किया जावेगा। एक वर्ष के बाद दरों में सं ोधन के प्रस्ताव पर अनुबन्धकर्ता की कार्य कु ालता, बाजार में प्रचलित दरों, सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये प्रभारी, किसान हॉस्टल की सिफारि ा पर विचार किया जा सकता हैं।
21. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल में कार्य आरम्भ करने से पूर्व जो भी स्थाई/अस्थाई सामान जिस अवस्था में उपलब्ध करवाया जावेगा अथवा हॉस्टल में उपलब्ध होगा वह सामान अनुबन्ध समाप्ति पर उसी अवस्था में प्रभारी, किसान हॉस्टल को संभला कर हॉस्टल छोड़ना होगा। यदि सामान गुम/चौरी हो जाता है या टूट–फूट हो जाती है उसका हर्जाना अनुबन्धकर्ता द्वारा वसूल किया जावेगा।

क्र.सं.2 किसान हॉस्टल का रख–रखाव, आन्तरिक सुरक्षा तथा हाऊस कीपिंग के कार्य की नियम व शर्ते –

22. अनुबन्ध की अवधि में किसान हॉस्टल की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, फर्नीचर, डबलबेड, व अन्य सामान को सुव्यवस्थित ढ़ग से रखना, बेड के तकिये, कम्बल, कवर आदि को आव यकतानुसार बदलना एवं अन्य हाऊस कीपिंग कार्य करने के साथ–साथ आव यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने वाले सामानों को सभी कमरों में उचित रूप से रखना एवं स्टोर के रख–रखाव का वि ोष ध्यान रखना।
23. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में किसान हॉस्टल में स्थापित सभी स्थाई/अस्थाई सम्पति की सुरक्षा करनी होगी। साथ ही अनुबन्ध की अवधि में हॉस्टल का कोई सामान चोरी होता है अथवा संस्थान की सम्पति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।
24. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि के दौरान हॉस्टल भवन, फर्नीचर आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें जिसकी देखभाल व उचित रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
25. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल के परिसर में स्थित पेड़–पौधों, लॉन इत्यादि की सुरक्षा, देखभाल एवं रख–रखाव करना होगा।
26. हॉस्टल में अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा बदलाव आदि की अनुमति नही दी जावेगी। यदि किसी प्रकार निर्माण/बदलाव आव यक हुआ तो अनुबन्धकर्ता को सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बिना अनुमति के निर्माण/बदलाव किया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही जमा जमानत रा ि भी जब्त करली जावेगी। संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने पर हर्जाना रा ि की कटोती जमानत रा ि/मासिक बिल मे से की जा सकती हैं। अनुबन्ध की शर्तो को पूरा नही करने पर या कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर अनुबन्ध रद्द करने की स्थिति मे जमा जमानत रा ि जब्त करली जावेगी।
27. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, किसान हॉस्टल/प्रतिनिधि के दि ाा–निर्दे ाानुसार कार्य करना होगा।
28. अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी किसान हॉस्टल को देनी होगी।
29. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल रा ि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
30. संबंधित वित्तीय व ि में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (GST/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
31. अनुबन्ध की अवधि में आव यकतानुसार पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुँचाने की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
32. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की ि ाथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से रा ि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत रा ि जब्त करली जावेगी।
33. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत रा ि जब्त कर ली जावेगी।

34. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निचित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
35. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
36. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
37. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
38. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा मान्य होगा।
39. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
40. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
41. सफल अनुबन्धकर्ता को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
42. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं/कोटे ानों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
43. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in एवं www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।

प्र ाासनिक अधिकारी

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the Kishan Hostle area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. **The contract will be awarded to the least responsive bidder based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector in guest house maintenance such bids will be financially non responsive and will be summarily rejected. In case of two or more tenderers quote same rates the tenderer having higher experience in relevant work will be given preference.**
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 100/-** along with the **Security Deposit @5% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or FDR/TDR in favour of **ICAR Unit CSWRI, Avikanagar**within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. ***PENALTY CLAUSE:*** Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency onaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c Kishan Hostal the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.

18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Administrative Officer (S&P)

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(337)एसपी / 2014 / दिनांकः 03.10.2019

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अधीन किसान घर (किसान हॉस्टल) की सुरक्षा, रख–रखाव व हाउस कीपिंग से सम्बन्धि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व ार्ते

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में द ायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द ाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त द ायी गई दरों पर **संस्थान के तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अधीन किसान घर (किसान हॉस्टल) की सुरक्षा, रख–रखाव व हाउस कीपिंग से सम्बन्धि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर** करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त द ाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त द ायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, किसान हॉस्टल या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्दे ानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत रा िको जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन / मोबाईल नं.

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item perform the duties as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:
Place:

Name:
Business Address :
Signature of Bidder:
Seal of the Bidder: